प्रेस नोटः–

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–16.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **36 वाहनों से मु0–8700 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 17 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

13 वारण्टी अभियुक्तो के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तो के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानो द्वारा 13 वारण्टी अभियुक्तो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 15.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–03 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 50 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है

थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. राकेश पुत्र कन्हैया नि0 पिपरा इस्माइल थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–67/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. हीरा लाल पुत्र जगत राम नि0 बगहा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **10 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–84/19 , धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. प्रदीप कुमार पुत्र फूलचन्द्र निवासी नवाबगंज थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–68/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल–09 विवेचनाओं** का निस्तारण किया गया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 16.04.2019

थाना खोड़ारे द्वारा अवैध कट्टे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मुन्नू यादव पुत्र चौकस निवासी खोझवा परसा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–68/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 15.04.2019 को उ0नि0 उमाकान्त राव मय हमराह फोर्स के साथ रात्रि गस्त मे रवाना थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति महुआ पाकड़ तिराहा पर अवैध असलहा लिए खड़ा है। इस सूचना पर उ0नि0 उमाकान्त राव मय हमराह फोर्स के साथ मुखबिर की सूचना व निशान देही पर पहुँचकर कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर थाना खोड़ारे में अभियुक्त के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 उमाकान्त राव।
02. हेड का0 मुनीव यादव।
03. का0 धीरेन्द्र सिंह।
04. का0 अशोक गौड़।